न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 139/2017 राजस्व अपील

1.भीखालाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 03.02.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भीखालाल मु. न. 388/2016 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :— दिनांक: 09.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय की पेश की कि ग्राम गांवडी के आराजी भूमि खसरा नम्बर 02 रकबा 0.05 है0 चरागाह भूमि पर संवत 2072 मे रबी की फसल काश्त कर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 03.02.2016 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य व सबूत का अवसर दिये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावंडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 02 रकबा 0.05 है0 पर गेहू की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 03.02.2016 को अपीलान्ट अतिक्मी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बेदखली नामा एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स अतिक्मी द्वारा राजकीय भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 139 / 2017 राजस्व अपील

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official